

**बिहार सरकार**  
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग  
**बिहार विरासत विकास समिति**  
पटना संग्रहालय के उत्तर, बुद्धमार्ग, पटना-800001

**निविदा आमंत्रण सूचना**

पटना, दिनांक-

बिहार विरासत विकास समिति, पटना के परिसर, भवन के अन्दर शौचालयों की सफाई तथा परिसर में भवन आदि की समुचित सफाई तथा उद्यानों की फूल पौधों (स्थायी/अस्थायी) से सुसज्जित एवं सौन्दर्यीकरण कार्य के निमित्त निबंधित एवं प्रतिष्ठित इच्छुक प्रतिष्ठानों से निम्नांकित शर्तानुसार मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है :-

**शर्तें :-**

- (1) संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए रहेगी। किन्तु कार्य के असंतोषजनक/संतोषजनक रहने के आधार पर यह अवधि घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है।
- (2) इस कार्य हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबन्द लिफाफे में प्राप्त किया जायेगा।
- (3) तकनीकी निविदा के साथ प्रतिष्ठान का "बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1953" के अन्तर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र दस हजार रूपया का बैंक ड्राफ्ट, जो कार्यपालक निदेशक, बिहार विरासत विकास समिति, पटना के नाम से देय होगा, आयकर प्रमाण-पत्र, किसी तीन सरकारी प्रतिष्ठानों में किये गये कार्य का कुशलता प्रमाण पत्र, कार्ययोजना प्रतिवेदन जिसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या विविध कार्य विवरण हो, इस आशय का शपथ पत्र कि उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी साक्ष्य वैध हैं, संलग्न करना होगा।
- (4) तकनीकी निविदा में उपलब्ध कराये जाने वाले कार्यबल का पूरा विवरण एवं उनका पहचान पत्र की छाया प्रति देना होगा तथा किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 3 लाख रुपये के कार्य करने का अनुभव होना चाहिये।
- (5) तीन वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र के साथ-साथ कार्य संतुष्टि का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (6) वित्तीय निविदा में प्रतिमाह विभिन्न करों सहित लागत व्यय का उल्लेख होगा।
- (7) चयनित प्रतिष्ठान पर श्रम नियमों एवं कानूनों के अन्तर्गत कार्य करवाने की पूरी जिम्मेवार होगी।
- (8) जी.एस.टी. कर प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र, श्रम विभाग से कराए गए निबंधन, ई.पी.एफ. खाता खोलवाने आदि की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- (9) सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रम शुल्क के आधार पर वित्तीय निविदा हो।
- (10) यह निविदा दिनांक 15.11.2019 के अपराह्न 2.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (11) यह निविदा दिनांक 15.11.2019 के अपराह्न 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि भी भाग ले सकेंगे।
- (12) प्राप्त निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय रद्द करने की शक्ति अधोहस्ताक्षरी में निहित होगी।
- (13) प्रतिष्ठित एवं निबंधित प्रतिष्ठान का ही निविदा मान्य होगा।

**कार्य :-**

- (क) समिति परिसर एवं भवन के अन्दरूनी एवं बाहरी हिस्से एवं पहुँच पथ की सफाई।
- (ख) उद्यान एवं बागवानी का रख-रखाव तथा उसे सुसज्जित एवं सुशोभित करना।
- (ग) सारे परिसर में जंगली घास को काटकर हटाना।
- (घ) यथावश्यक क्यारी/फलावर बेड का निर्माण तथा उद्यान की जुताई एवं समतलीकरण का कार्य करना।
- (ङ) समयानुसार मौसमी फूलों की व्यवस्था करना।

- (च) 100 पीस गमला पौधा तथा सभी पौधों में मिट्टी एवं खाद्य सहित व्यवस्था करना।
- (छ) समय-समय पर गमला की रंगाई पोताई
- (ज) फूल एवं पौधा पर समयानुसार दवा का छिड़काव करना।
- (झ) गोबर खाद्य एवं कृत्रिम खाद्य की व्यवस्था, सिचाई तथा बागवानी करना।
- (ञ) सफाई संबंधित सभी अन्य कार्यों का सम्पादन
- (ट) कार्य बीच में छोड़ने पर जमानत राशि जब्त कर लिया जायेगा।

**कार्य हेतु व्यवस्था :-**

- ✓ विरासत भवन में स्थित शौचालयों की सफाई दिन में कम से कम एक बार करनी होगी।
- ✓ न्यूनतम श्रमिकों की संख्या उपलब्ध करानी होगी।
- ✓ विशेष सफाई अभियान विभिन्न अवसरों पर तथा मौसम परिवर्तन में भी विशेष सफाई अभियान करना होगा।
- ✓ समय-समय पर मच्छर इत्यादि कीटों के लिये आवश्यक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना होगा।
- ✓ शौचालय में नियमित रूप से साबुन/पाउडर/लिक्विड शॉप, फिनाईल की गोली और केक की व्यवस्था करनी होगी।
- ✓ विरासत भवन के सफाई निरीक्षक प्रभारी से प्रतिदिन सत्यापित कराना आवश्यक होगा कि उस दिन का उनका कार्य संतोषजनक है।
- ✓ निविदादाता को सफाई कार्य हेतु आवश्यक उपस्कर एवं उपकरण की सूची संख्या के साथ निविदा में अंकित करनी होगी। उक्त उपस्कर निविदादाता स्वयं व्यवस्था करेंगे। इसके तथा अन्य कार्य हेतु अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।


**कार्य का भुगतान :-** प्रतिदिन का कार्य संपादन प्रमाण पत्र या सत्यापन संतोषजनक स्थिति में होने पर ही भुगतान किया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं होगा तो कार्य संतुष्टि का प्रतिशत अंकन करके ही भुगतान किया जायेगा।

**अनुशासन :-** निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रम शक्ति को समिति के नियम का अनुपालन करना होगा।

किसी भी प्रकार का अनुशासन उनके द्वारा भंग नहीं करना होगा। शिकायत पर आर्थिक कार्रवाई होगी। सभी कर्मि कम्पनी के अथवा समिति द्वारा निर्धारित वर्दी में परिचय पत्र के साथ ड्यूटी में रहेंगे।

**अनुबंध :-**

1. चयनित प्रतिष्ठान एवं बिहार विरासत विकास समिति के बीच एकरारनामा किया जायेगा। तदनुसार कार्य सम्पादित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा प्रस्ताव समर्पित करने के पूर्व विशेष जानकारी अथवा कार्य प्रकृति एवं परिसर का निरीक्षण/अवलोकन करने हेतु कार्यपालक निदेशक, बिहार विरासत विकास समिति के दूरभाष संख्या-0612-2508444 बुद्धमार्ग, पटना से संपर्क कर सकते हैं।
2. चयनित निविदादाता को अपने द्वारा प्रतिमाह अंकित शुल्क का तीन महीने की राशि जमानत राशि के रूप में ड्राफ्ट या बैंक गारन्टी के रूप में देना होगा।

  
 21/10/17  
 कार्यपालक निदेशक  
 बिहार विरासत विकास समिति